संख्या-256/2018/4194/71-1-2018-जी-110/2018

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 27 सितम्बर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर के पत्र संख्या-326/बीआरजी/एमसी-18/अनु0, दिनॉक 18-04-2018 के क्रम में शासनादेश संख्या-201/2018/2493/71-1-2018-जी-110/2018, दिनॉक 11.07.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करे।

2- तत्क्रम में उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-201/2018/2493/71-1-2018-जी-110/2018, दिनॉक 11.07.2018 द्वारा बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 1245.70 लाख (रू0 बारह करोड़ पैतालीस लाख सत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 498.28 लाख (रू0 चार करोड़ अट्ठानबे लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई थी। उक्त शासनादेश में प्रायोजना की लागत त्रुटिवश रू0 1339.77 लाख के स्थान पर रू0 1245.70 अंकित हो गई थी।

3- अत: उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-201/2018/2493/71-1-2018-जी-110/2018, दिनॉक 11.07.2018 द्वारा बाबा राघवदास मेडिकल कालेज, गोरखपुर में इलेक्ट्रिकल सेफ्टी वर्क हेतु आकलित लागत रू0 1245.70 लाख (रू0 बारह करोड़ पैतालीस लाख सत्तर हजार मात्र) को संशोधित करते हुए प्रश्नगत कार्य हेतु रू0 1339.77 लाख (रू0 तेरह करोड़ उन्तालिस लाख सत्तहत्तर हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किए जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

4- शासनादेश संख्या-201/2018/2493/71-1-2018-जी-110/2018, दिनॉक 11.07.2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा तथा उक्त शासनादेश की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

5- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-72-राजकीय मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में फायर फाइटिंग सिस्टम एवं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1991/दस-2018, दिनॉक 26 सितम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-256/2018/4194(1)/71-1-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- निदेशक, सी0एण्डडी0एस0, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।